



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1311]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2009/भाद्र 2, 1931

No. 1311]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2009/BHADRA 2, 1931

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)
(कागज अनुभाग)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)
(PAPER SECTION)

ORDER

New Delhi, the 20th August, 2009

का.आ. 2155(अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

S.O. 2155(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Newsprint Control Order, 2004, namely :—

1. (1) इस आदेश को न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2009 कहा जाए।

1. (1) This Order may be called the Newsprint Control (Amendment) Order, 2009.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. न्यूजप्रिंट नियंत्रण आदेश, 2004 की अनुसूची में,—

2. In the Newsprint Control Order, 2004, in the Schedule,—

(1) देशी न्यूजप्रिंट विनिर्माताओं की मिल के नाम और अवस्थिति से संबंधित मद 4 में, क्रम सं. 97 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

(1) In item 4 relating to the name of the Mill and Location of the indigenous newsprint manufacturers, after Sl. No. 97 and the entries relating thereto, the following shall be added, namely :—

“98. मैसर्स के. वी. आर. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सरासनपाली, रीगिडी अमाडालावालासा, श्रीकाकुलम जिला, आंध्र प्रदेश राज्य।”

“98. M/s. K. V. R. Industries Limited, Sarasanpalli, Regidi Amadalavalasa, Srikakulam, in the State of Andhra Pradesh.”

[फा. सं. 4 (2)/2009-कागज]

[F. No. 4 (2)/2009-Paper]

रेणु शर्मा, संयुक्त सचिव

RENU SHARMA, Jt. Secy.

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 1105(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 2004 के तहत प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 25 मई, 2009 के आदेश सं. का.आ. 1354(अ) द्वारा बाद में संशोधित किया गया था।

Note : The principal order was published in the Gazette of India vide No. S.O. 1105 (E), dated 11th October, 2004, and subsequently amended vide Order No. S.O. 1354(E) dated 25th May, 2009 published in the Gazette of India.